# न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 263 / 2011
प्रविष्टि दिनांक 20.09.2011

श्रीमति हेमा जैन पत्नि अवधेश कुमार जैन जाति महाजन निवासी सिविल लाईन टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

............ प्रार्थीया।

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

3–तहसीलदार टोंक जिला टोंक राज0

............ अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956**

उपस्थित (1) श्री बंसत कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामधन सैनी, व श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

## निर्णय

दिनांक 30.05.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम मेहगांव तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 500 / 3 मे से 223 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थीया व्यवसायिक की डीएलसी दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 763 / 09 दिनांक 20.12.2010 को निरस्त कर व्यवसायिक की दर से भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 763 / 09 दिनांक 20.12.2010 तलब की गई एंव [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:21:30 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित [illegible] प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग [illegible] भूमि ख0नं0 500 / 3 मे से कुल रकबा 379 वर्गमीटर [illegible] अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के



न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी, प्रार्थी की भूमि व्यवसायिक नही थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/लिखित का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीया की भूमि ख0न0 500/3 मे से 379 वर्गमीटर,किस्म जमीन बारानी–1 वाके ग्राम मेहगांव का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड श्री मुकेश कुमार जैन वगेरहा के नाम जारी किया गया है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि/प्लाट श्री मुकेश कुमार जैन वगेरहा से दिंनाक 26.11.2007 से क्रय की है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे 223 वर्गमीटर भूमि अवाप्त करना जाहिर किया है। प्रार्थीया द्वारा अन्य खातेदारान का मुआवजा राशि प्राप्त करने बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा व्यवसायिक भूमि की डी0एल0सी0 दर से चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा भूमि के व्यवसायिक होने के संबंध मे साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 30.05.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:21:30 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते